FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री रमेश कुमार पुत्र धन्नाराम गांव सुरियास पोस्ट झीटिया तहसील रियॉ बडी जिला नागौर

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 86 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00 223
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 14/8/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	M(ना) 5/8/19
14/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। पालना रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है पुन: स्मरण पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28/8/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
28/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान [illegible] पधारे है पेशी इलतवा होकर पत्रावली [illegible] 11/9/19 को पेश हो।	
11/9/19	पत्रावली आज पेश हुई अपीलांट द्वारा यह अपील u/s 19(1) पेश कर सूचना के अधिकार अधि० 2005 के तहत सूचना चाही जो उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। तह० जैतारण (लोक सूचना अधि०) जैतारण द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अनुसार प्रार्थी ने SDO जैतारण के द्वारा प्रेषित पत्रांक 54-55 की अनुपालना मे की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। इस सम्बन्ध में उक्त पत्रांक 54-55 तह० जैतारण को प्राप्त ही नही हुआ है इस लिए सूचना प्रेषित नही की जा सकती है इस सम्बन्ध मे प्रार्थी रमेश कुमार को जरिए पत्रांक राजस्व/2019/841 दि० 1-7-19 के सूचित भी कर दिया गया है। एसी स्थिति मे इस अपील के संदर्भ मे किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही होने से यह अपील इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर नाखाँत्रि कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	